संख्या– 998/ III(2)/19-20(प्रा0आ0)/2017

प्रेषक,

[illegible]
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक [illegible] जून 2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर में निर्मित मोटर मार्ग के कि0मी0 1.80 से ओलिया गांव लखमपुर व सूपाकोट तक 3.00 कि0मी0 मोटर मार्ग का विस्तार कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, [illegible] द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी कुल [illegible] कि0मी0 + 21 mtr Bridge एवं लागत ₹ 22.88 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 21.32 लाख (₹ इक्कीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में अंकित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित है। जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाये। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए पूर्ण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं शासन के नियमों [illegible] समय–समय पर निर्गत शासन [illegible] निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त [illegible] अनुबन्ध के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–2[illegible](2006) दिनांक 10–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय एवं आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)– आवश्यकतानुसार स्वीकृत आगणन में एल0पी0सी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों [illegible] में [illegible] व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 [illegible] तथा [illegible] पर [illegible]

(1)

[illegible] पुनः निर्माण कार्य [illegible] [illegible]

[illegible] ऑडिट [illegible]

[illegible] [illegible] कार्यों की [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] हेतु [illegible] कार्यों [illegible] वित्तीय [illegible]

[illegible] [illegible] कार्यों [illegible] [illegible] प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 [illegible]

[illegible] लोक निर्माण विभाग के [illegible]

[illegible] दिनांक 21 जून, 2016 [illegible]

[illegible] किया गया है।

[illegible] वित्तीय वर्ष [illegible]

[illegible] के अनुदान सं0–22 [illegible] निर्माण कार्य [illegible]

[illegible] 03–02 [illegible]

(5) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के [illegible]

[illegible] में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

[illegible]

2286 / III(2)/19–28(प्र0सं0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) [illegible]
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, [illegible]
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, [illegible]
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, [illegible]
11. गार्ड फाइल।

फोटो प्रति सत्यापित
[signature]
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा